समाहरणालय, मधेपुरा

(शस्त्र शाखा)

-: आदेश :-

श्री अरूण चौधरी, पे0-स्व0 रामचन्द्र चौधरी, ग्राम+पो0-करौती बाजार, थाना-उदाकिशुनगंज, जिला-मधेपुरा के नाम से एक दो नाली बन्दूक अनुज्ञप्ति संख्या 03/1987 (उदाकिशुनगंज थाना) प्राप्त है, जिस पर शस्त्र संख्या-34282 धारित है। इनके पुत्र श्री अरूण चौधरी, पे0-स्व0 रामचन्द्र चौधरी, ग्राम+पो0-करौती बाजार, थाना-उदाकिशुनगंज, जिला-मधेपुरा द्वारा सूचित किया गया है कि उनके पिता-श्री रामचन्द्र चौधरी की मृत्यु दिनांक 18.02.2015 को हो चुकी है। स्व0 चौधरी के नाम पर धारित दो नाली बन्दूक को उदाकिशुनगंज थाना के मालखाना में जमा करने हेतु अनुमति की अपेक्षा की गयी है।

उपरोक्त वर्णित स्थिति में शस्त्र अधिनियम की धारा 17 (6) के तहत् श्री अरूण चौधरी से प्राप्त आवेदन पत्र के आलोक में स्व0 रामचन्द्र चौधरी, पे0-स्व0 स्व0-सूर्यनारायण चौधरी, ग्राम+पो0-करौती बाजार, थाना-उदाकिशुनगंज, जिला-मधेपुरा के मृत्यु उपरान्त इनके नाम से निर्गत एक दो नाली बन्दूक की अनुज्ञप्ति संख्या 03/1987 को **रद्द** किया जाता है तथा उस पर धारित शस्त्र संख्या-34282 को शस्त्र अधिनियम की धारा 21 (1) के तहत् उदाकिशुनगंज थाना के मालखाना में जमा करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

थानाध्यक्ष, उदाकिशुनगंज को निदेश दिया जाता है कि वे मृतक अनुज्ञप्ति धारी के वारिसान से मूल अनुज्ञप्ति पुस्त एवं थाना मालखाना में जमा किए गए शस्त्र के पावना रसीद की एक प्रति जिला शस्त्र दण्डाधिकारी, मधेपुरा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे, ताकि अनुज्ञप्ति पुस्त एवं शस्त्र पंजी पर नियमानुसार इन्द्राज किया जा सके।

जिला शस्त्र दंडाधिकारी, मधेपुरा को निदेश दिया जाता है कि वांछित कागजात प्राप्त होने के उपरान्त उक्त आशय की प्रविष्टि संबंधित अनुज्ञप्ति पंजी में कराते हुए अपना हस्ताक्षर पृष्ठांकित कर देंगे।

इसकी सूचना संबंधितों को दी जाए।

ह0/-

जिला दण्डाधिकारी,

मधेपुरा।

ज्ञापांक 376 /शस्त्र, मधेपुरा, दिनांक- 15 /10/2015

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमण्डल दण्डाधिकारी, उदाकिशुनगंज/थानाध्यक्ष, उदाकिशुनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा को मधेपुरा जिला के वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, सम्पूर्ण बिहार राज्य को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : श्री अरूण चौधरी, पे0-स्व0 रामचन्द्र चौधरी, ग्राम+पो0-करौती बाजार, थाना-उदाकिशुनगंज, जिला-मधेपुरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

जिला दण्डाधिकारी,

मधेपुरा।